निर्धारित तिथि के बाद हुजे के टीके लगाने के कारण डाक्टरों को सजा दिया जाना

2872. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नकली तथा मिलावटी दवाइयां बनाने वाली फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी ;

(ख) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) में पिछले महीने ऐसे हैजे के टीके लगाए थे जिनकी निर्धारित तिथि एक वर्ष पूर्व ही निकल चुकी थी ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे दोषी डाक्टरों को क्या सजा दी गई है जिन्होंने लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) औषधियों का निर्माण औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है । गलत छाप वाली (नकली) या मिलावटी औषधियों का निर्माण करना इस अधिनियम के अधीन अपराध है । इस अधिनियम में नकली और मिलावटी औषधियों के निर्माण और बिक्री करने वाले के लिए जो सजा रखी गई है उसमें जुर्माने के अलावा कम से कम एक वर्ष की अवधि का कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक भी बढ़ाई जा सकती है दिया जा सकता है । किन्तु न्यायालय चाहे तो किन्हीं विशेष कारणों को लिखित रुप में बता कर एक वर्ष से कम की अवधि के लिए भी करावास का दण्ड दे सकता है ।

(ख) और (ग). इसकी सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

12.40 hrs.

PAPER LAID ON THE TABLE

NOTIFICATION UNDER MINES AND MINERALS (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT, 1957.

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): I beg to lay on the Table a copy of Notification No. S.O. 2120 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 25th June, 1977, under sub-section (1) of section 28 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957. [Placed in Library. See No. LT-634/77].

श्री मनी राम बागड़ी : (मथुरा) : अध्यक्ष महोदय, कल मैंने आप के सामने ध्यानाकर्षण का सवाल रखा था मथुरा के बारे में कि गुरुद्वारे, मन्दिर और मस्जिद को जबरी तौर पर —

MR. SPEAKER: I have sent it to the Minister.

उनका जबाब आने के बाद मैं आप को बता दूंगा ।

12.41 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

PHOTOSTAT COPY OF A BANK DRAFT REVEALING PAYMENT OF 25,000 SWISS FRANCS TO MRS. MANEKA GANDHI BY ORDER OF SHRI SANJAY GANDHI

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad): Sir, I call the attention of the Minister of Finance and Revenue and Banking to the following matter of urgent public importance:

"Photostat copy published in the Statesman dated the 6th July, 1977 of a Bank Draft on the Cantonal Bank, Berne (Switzerland) revealing payment of 25,000 Swiss Francs to